न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 27 / 2018

1 मोहनी देवी उम्र 53 वर्ष पुत्री श्री गणपत धर्मपत्नी देबूराम जाति जाट निवासी ग्राम गोकुलपुरा हाल आबाद ग्राम पंचायत गुंगारा तहसील व जिला सीकर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अपीलांट

बनाम

1 शान्ति देवी उम्र 43 वर्ष बेवा हरिराम।

2 परमेन्द्र उर्फ प्रेमचन्द उम्र 25 वर्ष पुत्र हरिराम।

3 बनारसी देवी उम्र 40 वर्ष बेवा श्योजीराम उर्फ शिवचन्द।

4 राजेन्द्र उम्र 22 वर्ष पुत्र श्योजीराम उर्फ शिवचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुर तहसील व जिला सीकर।

5 उप पंजियक महोदय सीकर तहसील व जिला सीकर।

6 पटवारी हल्का गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

7 तहसीलदार महोदय सीकर तहसील व जिला सीकर।

8 संजू बेवा नरेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

9 लीला देवी बेवा भंवरलाल।

10 सुरेश कुमार पुत्र भंवरलाल।

11 विजय कुमार पुत्र भंवरलाल।

12 सतीश कुमार पुत्र भंवरलाल।

13 संतोष पुत्री भंवरलाल।

14 कोशल चौधरी पुत्र हरदेवाराम।

15 शिव चौधरी पुत्र हरदेवाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 रामलाल पुत्र दुदारामा समस्त जाति जाट निवासीगण रामू का बास तहसील व जिला सीकर।

17 कपिल कुमार पुत्र सुरजमल जाति महाजन निवासी बधाल तहसील सांभर जिला जयपुर।

18 नर्बदा देवी पत्नी नन्दलाल।

19 अनिल पुत्र नन्दलाल।

20 सुनिल पुत्र नन्दलाल समस्त जाति नाई निवासीगण गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

21 सुनिता पुत्री नन्दलाल पत्नी कमल कुमार जाति नाई निवासी गोकुलपुरा हाल आबाद कासली तहसील धोद जिला सीकर।

22 कुरड़ाराम पुत्र घासीराम।

23 जगदीश पुत्र सीताराम।

24 लाली देवी पत्नी विनोद कुमारा।

25 अरविन्द पुत्र विनोद कुमार उम्र 6 वर्ष।

26 संजू पुत्री विनोद कुमार उम्र 17 वर्ष।

27 कृष्णा पुत्री विनोद कुमार उम्र 8 वर्ष।

28 इन्द्रपाल ।

29 ईलायची पत्नी सीताराम।

30 बलबीर पुत्र चुन्नीलाल।

31 साबूलाल पुत्र चुन्नीलाल।

32 फूलचन्द दत्तक पुत्र भूदाराम।

33 सुवा देवी पुत्री चुन्नीलाल।

34 चावली पुत्री चुन्नीलाल।

35 सीताराम पुत्र जवाहरराम।

36 नन्दलाल पुत्र बिड़दाराम।

37 कुरड़ाराम पुत्र बिड़दाराम।

38 रामनिवास पुत्र नाथूराम।

39 प्यारेलाल पुत्र नाथूराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

40 भंवर पुत्री नाथूराम।
41 सोहनी पुत्री नाथूराम।
42 चन्दी देवी पत्नी मूलाराम।
43 तुलसीराम पुत्र मूलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
44 विजयपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
45 संतोष देवी पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2018 मुकदमा नम्बर 65/2011 बउनवानी मोहनी देवी बनाम शान्ति देवी आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 16.02.2021

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 65/2011 में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 के विरूद्व दावा बाबत उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 728,729,730,731,732,995,996,1000 वाके गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर प्रस्तुत किया इस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वादी से इसका जवाब प्राप्त किया तत्पश्चात बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट का वाद उदघोषणा का था विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारो को सुनकर साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। जिस पूर्व डिक्री के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया गया है। उस प्रकरण में अपीलांट पक्षकार नही थी। प्रकरण का तकनिकी आधार पर निर्णय पारित नही कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 728 से 732 किता 5 रकबा 2.45 हैक्टेयर तन ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.10.2011 को किया जाकर दिनांक 19.01.2011 को उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से प्रकरण उनवानी तुलसीराम आदि बनाम गिरधारीलाल आदि मुकदमा नम्बर 386/2011 में निस्तारण किया जा चुका है व उक्त वाद के निर्णय व डिक्री के विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई अपील व अन्य कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं होकर उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है। जब सक्षम न्यायालय से विवादित के सम्बंध में प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित हो चुका हो तो उसी विवादित आराजियात के संबंध में कोई वाद सुनवाई का उसी न्यायालय को अधिकार प्राप्त नही है। व रेस जुडी काटा के सिद्वान्त के आधार पर पुन वाद कानूनन विधि द्वारा वर्जित है। अपीलांट को विवादित भूमि के सन्दर्भ में कोई ऐतराज है

[redacted] अधिकारी एव
[redacted] अपील अधिकारी
सीकर

तो उस निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी नवीन वाद चलने योग्य नही है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुसार वाद खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 728 से 732 किता 5 रकबा 2.45 हैक्टेयर तन ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर के सन्दर्भ में पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.10.2011 को किया जाकर दिनांक 19.01.2011 को उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से उनवानी तुलसीराम आदि बनाम गिरधारीलाल आदि मुकदमा नम्बर 386/2011 में निस्तारण किया जा चुका है व उक्त वाद के निर्णय व डिक्री के विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई अपील व अन्य कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं होकर उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है।

जब सक्षम न्यायालय से विवादित के सम्बंध में प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित हो चुका हो तो उसी विवादित आराजियात के संबंध में कोई वाद सुनवाई का उसी न्यायालय को अधिकार प्राप्त नही है। व रेस जुडी काटा के सिद्वान्त के आधार पर पुन वाद कानूनन विधि द्वारा वर्जित है। अपीलांट को विवादित भूमि के सन्दर्भ में कोई ऐतराज है तो उस निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी नवीन वाद चलने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुसार वाद खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाई जाती है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर